न्यायालय - माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प भोपाल.

पुनरीक्षण क्रमांक--------------/16
नि-723-PBR-16

(59)

1- नर्मदा प्रसाद,

2- सोनू

3- देवेन्द्र,

4- गोपाल, पुत्रगण नन्द किशोर

सभी आयु वयस्क, निवासी ग्राम बरखेड़ीखुर्द

तहसील हुजूर, जिला भोपाल. म0प्र0 ---------- पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

चित्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या0

द्वारा- अध्यक्ष- नीलेश शुक्ला,

आत्मज श्री के एम शुक्ला, नि ए-2

आकृति गार्डन, नेहरू नगर रोड,

भोपाल. म0प्र0 ---------- अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता ।

ग्राम	:	बुदागंज,
प्रकरण क्रमांक	:	15/अ-12/14-15
आदेश दिनांक	:	15.06.2015
सीमांकन दिनांक	:	06.06.2015
अधिनस्थ न्यायालय	:	राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर, टी टी नगर, वृत भोपाल.

नर्मदा प्रसाद
सोनू
देवेन्द्र
गोपाल

CP 26216

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन करते है :-

अनावेदक द्वारा दिनांक 01.06.2015 को ग्राम बुदागंज स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 75-76 , 103/75/2 /4 कुल रकबा 6.999 हेक्टेयर का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी सीमांकन दिनांक06.06.2015 को तहसील कार्यालय से ही दस्तावेज बनायागया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 723–पीबीआर/2016 जिला भोपाल

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
20.04.16	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया । 2– आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन बिना तैयार किये सीमांकन आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण पंचनामा में हस्ताक्षर के बाद में जोडकर आवेदकगण की उपस्थिति दर्ज कर उनका कब्जा दर्शाया गया है। अंत में कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है, अतः सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 3– प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरूद्ध दिनांक 2–2–2016 को लगभग 7 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का समाधानकारक कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किये हुये हैं और अनावेदक को कब्जा नहीं देने कि दृष्टि से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।	

4— तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण उपस्थित हुये हैं और उनके द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, साथ ही राजस्व निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसका निराकरण राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाकर ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन आदेश की जानकारी आवेदकगण को प्रारंभ से ही रही है, इसलिये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहाँ तक प्रकरण के गुण दोष का प्रश्न है, जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि सीमांकन के समय आवेदकगण उपस्थित रहे हैं और सीमांकन की सूचना दैनिक समाचार पत्र के द्वारा भी जारी की गई है । सीमांकन विधिवत् टी0एस0एम0 मशीन से चाँदे से मिलान करके किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाकर उनके द्वारा ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन तैयार नहीं कराना महत्वहीन है । इसके अतिरिक्त यदि अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा नहीं है तब वे अपनी भूमि का सीमांकन करा सकते हैं ।

5— उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष